



संख्या 64 / 11(IX)2008 TC-1
देहरादून: दिनांक ॥ दिसम्बर 2020

प्रमाण-पत्र

जनपद देहरादून में अवस्थित जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण हेतु राजस्व भूमि उपलब्ध न होने के कारण वन विभाग की 87.0815 है० भूमि नागरिक उड्डयन विभाग, उत्तराखण्ड को हस्तान्तरित की जानी है। उक्त वन भूमि हस्तान्तरण के एवज में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दोगुनी भूमि अर्थात् 174.163 है० सिविल सोयम/बंजर भूमि उपलब्ध करायी जानी है। जिलाधिकारी, देहरादून के पत्र संख्या 201/DLRC-2020 दिनांक 03.07.2020 में प्रदत्त आख्या के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि जनपद देहरादून में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वन भूमि अथवा सिविल/बंजर भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु अवनत वन भूमि में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है।

Om Prakash
11.12.20 -

(ओम प्रकाश)

मुख्य सचिव

उत्तराखण्ड शासन।